

# वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल बीजापुर (छ.ग.)

क्र./मा.चि./ ४४२५

बीजापुर दिनांक २६-१०-२०१७

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त

जगदलपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widening and Upgrading to 2 Lane of NH 163 (old NH 202) from Bhopalpatnam - Taralaguda section in state of Chhattisgarh under LWE scheme, area - 104.885 ha. Regarding.

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक /व.त.अ./5795 दिनांक 25.10.2017 ।

2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक /2467 / दिनांक 24.10.2017 ।

—::000::—

विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीजापुर वनमण्डल अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 202 (नया 163) भोपालपटनम से तारलागुड़ा तक मार्ग LWE योजना अन्तर्गत 2 लाईन चौड़ीकरण कार्य हेतु निर्माण में आने वाले वनभूमि 104.855 हे. प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर ने प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक 3, कंडिका क्रमांक 10, कंडिका क्रमांक 28, कंडिका क्रमांक 35 एवं कंडिका क्रमांक 39 में हस्ताक्षर उपरांत पूर्ण प्रस्ताव संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

विषयांकित प्रस्ताव का परीक्षण कर ऑन लाईन प्रविष्टि उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./मा.चि./ ४४२६

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र छ.ग. रायपुर पेंशन बाड़ा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

वनमण्डलाधिकारी,

बीजापुर वनमण्डल बीजापुर

बीजापुर दिनांक २६-१०-२०१७

वनमण्डलाधिकारी,

बीजापुर वनमण्डल बीजापुर